(279) निग० – 03075/2018/रीवा/भू-रा० (155)

1

समक्ष माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०

लल्लू प्रसाद पटेल तनय सूर्यभान पटेल, निवासी– ग्राम तेलिहा महतमान, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म०प्र०)

..............निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. शिव ब्रहोर यादव पिता रामफल यादव
2. नेरेन्द्र (नारेन्द्र) पिता शियाशरण यादव, दोनों ग्राम कैलासपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म०प्र०)
3. शासन मध्यप्रदेश

..............गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदकगण

अधि० श्री रमाकान्त पटेल द्वारा पेश। 18-5-18

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हनुमना के प्रकरण क्र0 52–ए74 / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 20.04.18 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के मुख्य तथ्य निम्न हैं:–

1. यह कि तहसील हनुमना अन्तर्गत स्थित ग्राम तेलिहा महतमान आ0ख0नं0 110 के रकवा 0.07 ए0 पर निगरानीकर्ता (लल्लू प्रसाद पटेल) द्वारा उसकी आवादी निस्तार दर्ज किये जाने बावत् एक आवेदन पत्र तहसीलदार सर्किल खटखरी के समक्ष पेश किया गया, जो संबंधित न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक से स्थल जांच प्रतिवेदन व पंचनामा मंगाया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.08.15 को आवेदित भूमि का स्थल पंचनामा ग्रामीणजनों एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की उपस्थित में तैयार किया जाकर उपस्थित जनों के सहित ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर स्थल पंचनामा में कराये गये तथा राजस्व निरीक्षक न्यायालय तहसीलदार को दिनांक 17.08.15 को अपना प्रतिवेदन पेश किया गया, स्थल पंचनामा में आवेदित भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल मकान लायन वृक्ष मन्दिर 15–20 वर्ष पूर्व से स्थित होना पाया गया। उक्त प्रतिवेदन तहसीलदार हनुमना के समक्ष मामले में संलग्न किया गया, जिसमें आपत्तिकर्ता अनावेदकगण द्वारा यह बताया गया कि उनके नाम उक्त भूमि का

(155)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3075/2018/रीवा/भू.रा0 जिला रीवा

लल्लू प्रसाद पटेल विरूद्ध शिव कोर यादव

1	2	3
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री रमाकांत पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 52/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20.04.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

प्रतिवेदन तहसीलदार हनुमना के समक्ष मामले में संलग्न किया गया, जिसमें अनापत्तिकर्ता अनावेदकगण द्वारा यह बताया गया कि उनके नाम उक्त भूमि का